आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

30/12/22

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-238/09-10

जोसेफ एक्का, पिता स्व. हवील उराँव,
निवास ग्राम–बड़ाघाघरा, थाना डोरण्डा
जिला राँची ... प्रथम पक्ष।

बनाम

ईश्वर आनन्द कुमार, पिता स्व. सुरेन्द्र नाथ शर्मा,
निवास ग्राम–बड़ाघाघरा, थाना डोरण्डा
जिला राँची। ---- **द्वितीय पक्ष।**

आदेश

प्रथम पक्ष जोसेफ एक्का, पिता स्व. हवील उराँव, निवास ग्राम–बड़ाघाघरा, थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष ईश्वर आनन्द कुमार, पिता स्व. सुरेन्द्र नाथ शर्मा, निवास ग्राम–बड़ाघाघरा, **थाना डोरण्डा, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।**

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
बड़ाघाघरा	221	319	2160	1.15ए०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन आर.एस. खतियान में बकास्त भूइहरी लगान पाने वाला हवील उराँव वगैरह के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।

क्र०पृ०द्र०

30/12/22

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मॉंग की गई।

प्रथम पक्ष ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान मे बकास्त भूइहरी लगान पाने वाला हवील उरॉव वगैरह के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत हाबिल उरॉव के पुत्र है, और मेरे पिता हाबिल उरॉव ने रामाश्रय महाराज को उक्त भूमि को दिनांक 24.04.1943 को बिक्री कर दिये थे। बिक्री की तिथि से द्वितीय पक्ष सपरिवार उक्त भूमि पर मकान बनाकर रहते चले आ रहे। उक्त भूमि की एवज में द्वितीय पक्ष ने हमारे परिवार को आर्थिक सहायता एवं परिवारिक मदद भी किया था। हमारे परिवार के कोई भी सदस्य उक्त भूमि की वापसी हेतु परेशान नहीं करते है। इस संबंघ हमारे परिवार एवं द्वितीय पक्ष के परिवारों के बीच एक सुलहनामा भी किया गया है। अब उक्त भूमि एवं मकान में किसी भी प्रकार का हक या दावा नहीं करेंगे। हमलोगो को इस वाद से किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है, और भविष्य में भी किसी तरह का वाद–विवाद नहीं करना चाहते हैं। बहकावे में आकर यह वाद दाखिल किया था। अतः इस वाद को समाप्त किया जाए।

द्वितीय पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उक्त भूमि बकास्त भूइहरी लगान पाने वाला हबील उरॉव वगैरह के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत हाबिल उरॉव के पुत्र है। प्रथम पक्ष के पिता हाबिल उरॉव ने मेरे दादा स्व. रामाश्रय महाराज दिनांक 24.04.1943 में हुकुमनामा से माध्यम से उक्त भूमि को बिक्री वो हस्तान्तरित कर दिये थे। हस्तान्तरित की तिथि से हम सपरिवार उक्त भूमि पर अपना अपना मकान बनाकर शांति पूर्वक दखलकार है। उक्त भूमि कुल रकवा 1.15 एकड पर वाद दाखिल किया गया है। वास्तव में विवादित भूमि की कुल रकवा में से 30 डीसमिल भूमि रास्ता बनाने के लिए अधिग्रहण कर लिया। शेष रकवा 85 डीसमिल भूमि पर हम सपिरवार घर बनाकर शांति पूर्वक दखलकार है। प्रथम पक्ष तथा इनके अन्य परिवारों की ओर से किसी तरह की विवाद नही करते है। प्रथम पक्ष बहकावे में आकर द्वितीय

क्र०पृ०उत्तरे

A:- 30/12/22

पक्ष के उपर वाद दाखिल किया था। दोनो पक्षों ने आपसी परिवारिक सुलहनामा करते हुए दिनांक–30.09.2010 को लिखित समझौता आवेदन भी न्यायालय को दिया है कि हमलोग आपसी समझौता करते हुए इस वाद को समाप्त करना चाहते है, तथा प्रथम पक्ष एवं इनके परिवार गण जमीन पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। वर्तमान में द्वितीय पक्ष ही उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार है।

अंचल अधिकारी, अरगोडा के पत्रांक–675(ii) दिनाक–09.12.2022 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियानी में बकास्त भूइहरी लगान पाने वाला हवील उरॉव वगैरह के नाम से दर्ज है। आवेदित भूमि पंजी–II में दर्ज नहीं है। आवेदक जोसेफ एक्का की मृत्यु हो चुकी है जोसेफ एक्का के तीन पुत्र (1) हाविल एक्का (मृत) (2) जूलियन एक्का (3) सुशील एक्का है। वर्तमान में उक्त भूमि पर ईश्वर आनन्द कुमार पिता सुरेन्द्र नाथ निवास ग्राम बडाघाघरा थाना डोरण्डा जिला राँची का पुराना कच्चा मकान एवं संरचना निर्मित है। आवेदित भूमि के सामाने रास्ता की ओर एक गेट बना हुआ है जो टूटा फटा है। दो पुराना कच्चा मकान बना हुआ है। जो गिर गया है। एक तरफ का दिवाल खड़ा है। भूमि के चारो तरफ 10–10 फीट की दूरी पर लगभग सिमेन्ट के पीलर से चार दिवारी किया हुआ है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया। विवादित भूमि पर खतियानी रैयत हाविल उरॉव ने रामाश्रय महाराज को दिनांक 24.04.1943 में हुकुमनामा से माध्यम से बिक्री वो हस्तान्तरित कर दिये थे। इस संबंध में उभय पक्षों ने आपसी परिवारिक सुलहनामा करते हुए दिनांक 30.09.2010 को लिखित समझौता आवेदन भी न्यायालय को दिया है कि इस वाद को समाप्त किया जाय। द्वितीय पक्ष विवादित भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार है। प्रथम पक्ष को नोटिस देने के बावजूद भी इस न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहें। राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्षों को आमंत्रित किया गया था कि आपसी सुलह कर वाद को समाप्त

30/12/22

किया जाय। किन्तु राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम पक्ष उपस्थित नहीं हुए। प्रथम पक्ष इस न्यायालय में लगभग 70 वर्षों के बाद भू–वापसी हेतु वाद दाखिल किया है। जो कालबाधित प्रतीत होता है। उक्त भूमि की कुल रकवा 1.15 एकड़ में से 30 डीसमिल भूमि रास्ता बनाने में चला गया। शेष रकवा 85 डी. पर ही द्वितीय पक्ष शांति पूर्वक दखलकार है। उभय पक्ष के आपसी समझौता के अनुसार भविष्य में उभय पक्ष विवादित भूमि पर कोई वाद समक्ष न्यायालय में दायर नहीं करेंगे।

अतः उभय पक्षों के अनुरोध एवं आपसी समझौता हों जाने की स्थिति को देखते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/12/22

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

30/12/22

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 15:12:45 +05:30
Location: 192.168.51.130